



समक्ष न्यायालय मान. सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर

संभाग ग्वालियर (जबलपुर कैम्प)

1/विदिवा/छिंदवाड़ा/भू.रा/2018/2521

अपील क्र. /2018

अपीलार्थी

प्रमाणित प्रस्तुत
28 MAR 2018
प्रतिलार्थीगण

कु. गीता उईके, पुत्री श्री यादमी उईके, उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी ग्राम राजढाना, पोस्ट बसुरिया, थाना एवं तहसील हरई, जिला छिंदवाड़ा(म.प्र.)

विरुद्ध

1. बृज कुमारी उईके, पुत्री बिसमलाल उईके, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी - ग्राम राजढाना, पोस्ट बसुरिया, थाना एवं तहसील हरई, जिला छिंदवाड़ा(म.प्र.)
2. श्रीमान् परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास परियोजना, थाना एवं तहसील हरई जिला छिंदवाड़ा(म.प्र.)
3. श्रीमान् जिला परियोजना अधिकारी महोदय, महिला बाल विकास परियोजना, थाना एवं तहसील हरई जिला छिंदवाड़ा(म.प्र.)

अपील अंतर्गत धारा 91, रूल 5(1)(ए) पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज

अधिनियम 1993

आवेदिका माननीय अतिरिक्त कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा के प्र.क. 40/अ-89/2015-16 के आदेश दिनांक 15/09/2016 एवं 15/12/2016 तथा अतिरिक्त कमिश्नर के प्र.क. 0544/अपील/15-16 निर्णय दिनांक 26/02/2018 से दुरिक्त होकर उक्त अपील तथ्य एवं मुख्य आधार पर प्रस्तुत है :-


अपीलार्थी माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करती है, कि :-

1. यह कि, प्रतिअपीलार्थी क. 1 बृज कुमारी उईके के द्वारा केन्द्र क. 2 आंगनवाड़ी राजढाना में आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता के पद पर प्रथम वरीयता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/विविध/सुनवाई/भू.रा./2018/2521

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/05/2018	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति के संबंध में म0प्र0 पंचायत राज अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसके तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः यह विविध आवेदन आवेदक को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाए। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	